न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 268/2016(2016/00804)

1. चन्द्रा पुत्र ज्वारा जाति कुम्हार
2. बजरंग पुत्र ज्वारा जाति कुम्हार
3. रामअवतार पुत्र रामदेव जाति कुम्हार

समस्त निवासीगण धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

वनाम

1. मोहन पुत्र काना
2. मनभर बैवा भैंरू

शोभाग पुत्र भैंरू जरिये नाबालिग बसरबराही माता खुद मनभर बैवा भैरू समस्त जातिगण कुम्हार निवासीगण धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री नंदकिशोर वर्मा — वकील प्रार्थी
हनुमान प्रसाद शर्मा — वकील अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

दिनांक 18.4.2022

पत्रावली आज दिनांक 18.4.2022 को पेश हुई वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट पेश कर निवेदन किया अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात वाके ग्राम धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है आराजी का विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
157—147	2886 2887	0.32है. 0.15है.	चा.न.2885 चा. 1

उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण का ही विना वेरोक टोक के कब्जा, काश्त, आधिपत्य स्वामित्व में चला आ रहा है और प्रार्थीगण उक्त वाद वर्णित आराजीयात को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थीगण की आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नंबर	रकबा
476–438	2863	0.09
	2867	0.22
	2868	0.32

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी में आने जाने के लिए रेकॉर्डेड रास्ते की आराजी मे आने जाने के लिए रेकोर्डेड रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने जब से अपने खातेदारी व काश्तकारी अधिकार प्राप्त किये तभी से आराजी खसरा संख्या 2863, 2867 व 2868 की मेड से आते जाते रहे है लेकिन अप्रार्थीगण ने अब प्रार्थीगण को खेत की मेड से आने जाने से रोक दिया और प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्राथीगण को अपने खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं होने से माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है अपार्थीगण को प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की आराजी पर आने जाने से रोकने का किसी प्रकार का हक अधिकार नही है प्रार्थीगण ने अपने खेत पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। परन्तु अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा कहा गया कि कोर्ट से आदेश ले कर आ जावें। अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण को, उसके खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु खसरा संख्या 2863, 2867 व 2868 की मेड के पास में से 30 फिट चौडा आम रास्ता तामीर किया जावें तथा तामीर किये गये 30 फिट चौडा आम रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 20.04.2016 से उत्पन्न हुआ कि जब प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने आराजी खसरा संख्या 2863, 2867 व 2868 के मेंड में से आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तब से दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 2863, 2867 व 2868 के मेड की ओर 30 फिट चौडा आम रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध करवाया जावे जिस हेतु अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावे कि आराजी खसरा नंबर 2863, 2867 व 2868 की मेड के पास 30 फिट चौडा आम रास्ता में से प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी की आरजी में आने जाने हेतु 30 फिट चौडा आम रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे उक्त 30 फिट चौडा आम रास्ता हेतु प्रार्थीगण अदा करने को तेयार व तत्पर है जिसे स्वीकार फरमाने कि प्रार्थना कि है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित हुआ अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. वर्तमान में स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 1789 के पश्चात खसरा नंबर 1846, 1874, 1875, 1880, 3321/2868 एवं 2868 से आवागमन कर रहा है। खसरा नंबर 1846, 1874, 1875, 1880 में सम्बन्धित खातेदारान [illegible] आपसी सहमति से रास्ता छोडा हुआ है। खसरा नंबर 3321/2868 एवं [illegible] द्वारा रास्ता बन्द किये जाने से उक्त आराजी में से [illegible] है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 1789 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

Scanned with CamScanner

4. बिन्दू संख्या 02 में अंकितानुसार आवागमन हेतु सुविधाजनक है।
5. अन्य विकल्प नही है। खसरा नंबर 3321/2868 मे से 112 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 2868 में से 100 वर्गमीटर कुल 212 वर्गमीटर भूमि(संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसा)
6. पक्षकार आपस में प्रतिकर राशि हेतु सहमत नही है।
7. पक्षकार आपस में जमीन के बदले जमीन बाबत सहमत नही है।
8. प्रतिकर राशि 12271/– रूपये(गणना संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार)

वरवक्त सुनवाई वादीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 2886 रकबा 0.32 है0 व खसरा नंबर 2887 रकबा 0.15हैक्टरमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 3321/2868 व 2868 में डिमांड रास्ते से प्रार्थी को खेत में आवागमन हेतु सुविधाजनक है प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा अन्य विकल्प नहीं है प्रार्थी को 53 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा खसरा नंबर 3321/2868 में 28x4=112वर्गमीटर, खसरा नंबर 2868 में 25x4=100वर्गमीटर कुल 212वर्गमीटर(मौका रिपोर्ट अनुसार) का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि 12271/– राशि बनती है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 2887 व 2886 पर आने जाने हेतु रास्ता 3321/2868 व 2868 डिमांड रास्ते से प्रार्थी को खेत में आवागमन हेतु सुविधाजनक है उक्त प्रस्तावित रास्ता 53 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा खसरा नंबर 3321/2868 में 28x4=112वर्गमीटर, खसरा नंबर 2868 में 25x4=100वर्गमीटर कुल 212वर्गमीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि 12271/– राशि होती है जिसका भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 3321/2868 में 112वर्गमीटर व 2868 में 100वर्गमीटर कुल 212वर्गमीटर सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ते हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थीगण से उक्त 12271रूपये प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थी को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावायी जाकर ग्राम धून्धरी की आराजी खसरा नंबर 2886 व 2887 में आने जाने के लिये रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस से लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner